



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

रा० रि० प्रकरण क्रमांक /

R 222- I सन 17

मुरारी लाल पिता स्व० श्री गया प्रसाद गौतम उम्र 56 साल

श्री श्री लाल पिता स्व० श्री गया प्रसाद गौतम उम्र 56 साल

निवासी कृष्णागढ तह० पवई जिला पन्ना म० प्र०

— आवेदक / रिवीजनकर्ता

राज दि. 16/01/17 को

/ बनाम /

कृष्णागढ तह० पवई जिला पन्ना म० प्र०

1- रामभुवन पिता गया प्रसाद गौतम उम्र 46 साल

राजस्व मण्डल

2- खुशी लाल पिता वाला प्रसाद गौतम उम्र 69 साल

3- रामायण प्रसाद पिता वाला प्रसाद गौतम उम्र 54 साल

4- रामगोपाल पिता वाला प्रसाद गौतम उम्र 51 साल

5- वेद प्रकाश पिता वाला प्रसाद गौतम उम्र 46 साल

6- रामसुजान पिता गया प्रसाद गौतम उम्र 71 साल

7- अवध बिहारी पिता गया प्रसाद गौतम उम्र 52 साल सभी

निवासी ग्राम कृष्णागढ तहसील पवई जिला पन्ना म० प्र० — अनावेदक / रिवीजनग्रहितागण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० संहिता 1959

रिवीजन विरुद्ध न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय

कल्दा तह० पवई जिला पन्ना के रा. प्र. क्र. 28/अ-27/

वर्ष 2015-2016 मे पारित आदेश दिनांक 27/12/2016

से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक

निराकरण हेतु सादर सम्प्रेषित है ।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-222-एक/2017

जिला-पन्ना

मुरारी लाल विरुद्ध रामभुवन आदि

| स्थान तथा दिनांक                    | कार्यवाही तथा आदेश   | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर         |
|-------------------------------------|--|--|
| <del>19-02-2019</del><br>26-02-2019 | <p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार कल्दा, तहसील पवई जिला-पन्ना के प्रकरण क्रमांक 28/अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-12-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 18-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> | <p>(आर.के. जैन)<br/>सदस्य</p> <p>20/2/19</p> |